**न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, जालोर (राजस्थान)**

पीठासीन अधिकारी – अमर वर्मा, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध आपराधिक(जमानत) प्रकरण सं.27 सन् 2026 (सी.आई.एस.नं. 55/26)
(प्रथम इत्तला रिपोर्ट संख्या–14/26 पुलिस थाना, सायला)

स्वरूपसिंह पुत्र कुम्पसिंह, उम्र 25 वर्ष, निवासी जसाई, तहसील व जिला बाड़मेर
–प्रार्थी/अभियुक्त

**विरूद्ध**

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक।
–विपक्षी/अभियोगी।

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता**
अपराध अन्तर्गत धारा 191(2),191(3), 126(2), 115(2), 117(2), 109(1), 310(2), 140(3)/190 बी.एन.एस.

उपस्थितः–
1. श्री राजेन्द्र कच्छवाह, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त
2. श्री दिलीप शर्मा, विद्वान अपर लोक अभियोजक

**––आदेश––**

**दिनांक** 28.03.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. वास्ते अग्रिम जमानत प्रस्तुत किया गया।

2. बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से बहस में यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया जा रहा है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसका नाम नहीं है, वह पुलिस जांच में पूर्ण रूप से सहयोग करने को तैयार है। प्रार्थी इज्ज़तदार व्यक्ति है तथा अपने गांव व समाज में उसकी अच्छी छवि है, पुलिस प्रार्थी को गिरफ्तार करने पर उतारू है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जावे।

3. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया।

4. सुना गया। उभय पक्षों के विरोधाभासी तर्कों पर मनन किया गया एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया। अनुसंधान से उभरकर आये तथ्यों के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंर्तगत धारा 191(2),191(3), 126(2), 115(2), 117(2),109(1), 310(2), 140(3)/190 बी.एन.एस. के तहत अपराध कारित करने का अभियोग है, जिसके तहत यह आरोप है कि उसने दीगर अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर इस जमाव का सदस्य रहते हुए परिवादी के पुत्र मजरूब ललकारसिंह को रोककर उसको जान से मारने की नियत से उसके साथ स्वेच्छया लाठी, घुसों आदि से मारपीट कर उसके साधारण व गंभीर चोटें कारित कर उसका हत्या का प्रयास किया तथा उसका अपहरण किया। तथ्यात्मक रिपोर्ट व अनुसंधान पत्रावली के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का भी उक्त घटना में शामिल होना पाया जाकर उसके द्वारा भी घटना को अंजाम देना अनुसंधान में पाया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध निम्न आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताया हैः–

| **क्र.सं.** | **मुकदमा नंबर व दिनांक तथा धारा** | **पुलिस थाना** | **न्यायालय निर्णय** |
|---|---|---|---|
| 1. | 104/23.06.2020 धारा 341, 323, 327 भा.दं.सं. | पुलिस थाना बाड़मेर ग्रामीण | पेडिंग ट्रायल |
| 2. | 196/20.06.2020 धारा 143, 341, 323, 504, 365, 511, 427, 382, 120 बी भा.दं.सं. | पुलिस थाना चोहटन, जिला बाड़मेर | –– |
| 3. | 446/21.09.2019 धारा 457, 380 भा.दं.सं. | पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर | –– |

इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त आपराधिक पृष्ठभूमि का भी होना प्रकट होता है। प्रार्थी/अभियुक्त की तलाश लगातार जारी रहना तथा उससे अनुसंधान शेष होना बताया है। ऐसी स्थिति में यदि इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने पर अनुसंधान प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का ऑपराधिक रिकॉर्ड, अपराध की गंभीरता, एवं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टीका टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत की सुविधा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः प्रार्थी/अभियुक्त स्वरूपसिंह की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(अमर वर्मा)
अपर सेशन न्यायाधीश, जालोर

6. आदेश आज दिनांक 28.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमर वर्मा)
अपर सेशन न्यायाधीश, जालोर